

1

2

3

श्री ४ सदस्यों के विरुद्ध वारंट
निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक 24/5/24 को
रखें।


06.05.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

24/5/24

अभिलेख उपस्थापित।
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।
पीठाधीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त।
अभिलेख दिनांक 08/06/24 को रखें।

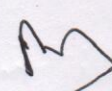
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

08/06/24

अभिलेख उपस्थापित।
आना प्रभाती, बिल्ली के प्रतिकेदन
के आधार पर जोर सभा चुनाव 2024
के शान्तिपूर्ण निष्पादन हेतु इस वाद को
द्वितीय पक्ष के विरुद्ध प्रारंभ किया गया
था।

जोर सभा चुनाव 2024 के मतगणना
का कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न हो गया है।
आना की ओर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध
कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अतः मामले में इस वाद को
समाप्त किया जाना है पूर्व में निर्गत आदेश
वारंट को स्वयं छिन्न कर दिया।


15.06.2024


15.06.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)